

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 588/22 धारा 302/201 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल रस्सी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.06.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री सीताराम पुत्र स्व0 महावीर शर्मा निवासी ग्राम क्यामपुर थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि छोटे वाल्मीकि निवासी ग्राम चौहल्दा थाना कोतवाली बागपत व उसके साथी ने मिलकर उसके पुत्र अंकित उम्र करीब 28 वर्ष की हत्या कर दी । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 588/22 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 588/22 धारा 302/201 भादवि का सफल अनावरण करते हुये एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल रस्सी बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मेरा पुत्र अंकित शराब पीने का आदी हो गया था । आये दिन मेरे साथ मारपीट करता था और कई लोगों से रुपये उधार लेकर वापस नहीं किये थे। मैं अपने पुत्र की हरकतों से काफी परेशान था । इसी कारण मैंने अपने पुत्र अंकित की हत्या अपने रिश्तेदार मिन्टू पुत्र दयाचन्द निवासी ग्राम सारा थाना निवाड़ी जनपद गाजियाबाद के साथ मिलकर रस्सी से गला घोटकर की थी । उसके शव को रात्रि में ग्राम सूजरा के पास डालकर हम दोनों वहां से भाग गये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-श्री सीताराम पुत्र स्व0 श्री महावीर शर्मा निवासी ग्राम क्यामपुर थाना कोतवाली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल रस्सी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री रवि रतन सिंह थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-का0 379 अखिलेश को0 बागपत ।
- 3-का0 461 रोहित भाटी को0 बागपत ।

दो मासूम बच्चों (उम्र करीब 04 वर्ष व 08 वर्ष) की हत्या करने की आरोपी अंजुम को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ आजीवन कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा।

कार्यवाही -

अवगत कराना है कि अभियुक्ता अंजुम पत्नी गुलाब कुरैशी निवासी मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2021 में अपने दो मासूम बच्चों उम्र करीब 04 वर्ष व 08 वर्ष की गला दबाकर हत्या करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0- 110/2021 धारा 302 भादवि पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 20.06.2022 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट न0-3 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्ता अंजुम को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

1-अंजुम पत्नी गुलाब कुरैशी निवासी मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।

मां ने गला घोटकर दो बच्चों की हत्या की

छपरौली (बागपत)। पति से झगड़ा होने के बाद छपरौली की एक महिला ने बृहस्पतिवार को अपने दो मासूम बच्चों की गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है।

मोहल्ला कुरैशियान निवासी गुन्नाब कुरैशी फरीदाबाद में कपड़ों को फेंके लगाने का काम करता है। वह हरियाणा में ही रहता है, उसकी पत्नी अंजुम, पुत्र उम्र (9) और पुत्री अलशिफा (5) छपरौली में रहते थे। बुधवार को गुलाब घर आया था। सीजे बड़ीत आरोक सिंह का कहना है कि बुधवार शाम को ही किसी बात को लेकर गुलाब से अंजुम का झगड़ा हुआ था। इसके बाद गुलाब हरियाणा चला गया। झगड़ा होने से नर्भित अंजुम ने उम्र और अलशिफा का गला घोट दिया। बृहस्पतिवार सुबह दुनिया भूरा उनके घर दूध लेकर आया तब घटना की जानकारी हुई। नगर

पति से झगड़ा होने के बाद दिया जघन्य चरयात को अंजुम, विवाद के बाद पति चला गया था हरियाणा, आरोपी गिरफ्तार



उम्र, अलशिफा (फाइन फोटो)।

'बच्चों को मार दिया, दूध नहीं चाहिए'

दुनिया भूरा ने बताया कि अंजुम रोते हुए कहा थी कि उसने दोनों बच्चों को मार दिया है, दूध नहीं चाहिए। पुलिस को सूचना पर गुलाब के भाई जल पहुंचे तो अंजुम ने रोते हुए कहा कि पाले पुलिस को बुला लो, फिर दरवाजा खोल लूँगी। इस पर दरवाजा तोड़ दिया। अंदर पहुंचे तो बच्चों के गला खरसाई पर पड़े थे।

>> मां का अंजुम ही बन गया मौत का फंदा : पृष्ठ 4

प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 20.06.2022

आबकारी अधिनियम में आरोपी बन्टी को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 06 माह 09 दिन का कारावास व 500/ रुपये अर्थदण्ड की सजा

।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि अभियुक्त बन्टी पुत्र काशीराम निवासी साकेत जनकपुरी दिल्ली द्वारा वर्ष-2021 में अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थ शराब की तस्करी करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0- 373/2021 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 20.06.2022 को मा0 न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिविजन)/ त्वरित न्यायालय सं0-1 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त बन्टी को दोषी पाते हुए धारा 63 आबकारी अधिनियम में 06 माह 09 दिन का कारावास व 500/ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

1- बन्टी पुत्र काशीराम निवासी साकेत जनकपुरी दिल्ली।

प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 20.06.2022

गैंगस्टर अधिनियम में आरोपी सागर को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 05 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि अभियुक्त सागर पुत्र चांदवीर निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत के विरुद्ध थाना दोघट पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 01/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 20.06.2022 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय सं0-1 विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम) जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सागर को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में 05 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

1- सागर पुत्र चांदवीर निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।

अभियुक्त सागर का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 334/2015 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 336/2015 धारा 102/41 सीआरपीसी व 411/414/420 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 322/2015 धारा 2(B)(II)/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत ।

4- मु0अ0सं0 114/2015 धारा 392/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।

5- मु0अ0सं0 169/2016 धारा 392/397/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।

6- मु0अ0सं0 170/2016 धारा 307 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।

7-मु0अ0सं0- 01/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना दोघट जनपद बागपत ।

थाना खेकडा

दिनांक 20.06.2022

चोरी की घटना के आरोपी छोटू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 06 माह 22 दिन का कारावास व 1000/ रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि अभियुक्त छोटू पुत्र उदयवीर निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा वर्ष- 2021 में अभियुक्त द्वारा चोरी करने की घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0- 493/2021 धारा 380/411 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 20.06.2022 को मा0 न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिविजन)/ त्वरित न्यायालय सं0-1 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त छोटू को दोषी पाते हुए धारा 380/411 भादवि में 06 माह 22 दिन का कारावास व 1000/ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

1- छोटू पुत्र उदयवीर निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने गुमशुदा 08 वर्षीय बच्ची को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने गुमशुदा 08 वर्षीय बच्ची को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया ।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1- म0उ0नि0 श्रीमती सुमन थाना कोतवाली बागपत
- 2- का0 595 आजाद थाना कोतवाली बागपत
- 3- म0हो0गा0 802 सीमा थाना कोतवाली बागपत



थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 609/22 धारा 307 भादवि में 02 नफर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक चाकू(छोटा) बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.06.22 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया मोमीना पत्नी शीनू निवासी नई बस्ती मुगलपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त 1.शाकिर उर्फ सादिक 2.सुक्की 3. रिजवान 4. हारूण निवासीगण नई बस्ती मुगलपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत द्वारा वादिया के पुत्र महताब के ऊपर एक राय होकर जान से मारने की नियत से चाकू व लाठी-डन्डो से हमला कर घायल कर दिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 609/22 धारा 307 भादवि में पंजीकृत किया गया ।



बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 609/22 धारा 307 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक चाकू(छोटा) बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1.रिजवान पुत्र मोमीन निवासी मौ0 मुगलपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।
2. शाकिर उर्फ सादिक पुत्र हारूण निवासी मौ0 मुगलपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक चाकू(छोटा) बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उपनि0 श्री विकास चौहान थाना कोतवाली बागपत
- 2.का0 647 प्रवीण भाटी थाना कोतवाली बागपत

प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 20.06.2022

थाना दोघट पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1-पंकज पुत्र रामफाल निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सेन्सरपाल सिंह
- 2- का0 807 श्रीपाल मलिक

प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक- 20.06.2022

थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 82/2022 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 82/2022 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-विजय पुत्र करम सिंह निवासी किदवई नगर थाना करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0- श्री सेन्सरपाल सिंह ।
- 2-का0- 807 श्रीपाल मलिक

थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी/ अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-ताहिर पुत्र जाकिर निवासी तांगा स्टैंड पट्टी मुण्डाला कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2-आफताब पुत्र जाकिर निवासी तांगा स्टैंड पट्टी मुण्डाला कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-मोहित पुत्र कुसुमपाल निवासी कांशीराम कालौनी नानू रोड कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना खेकड़ा
- 2-का0 373 बबलू कुमार
- 3-का0 447 पंकज कुमार



थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 502/2021 धारा 452/504/323/308/506 भादवि में
वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 22.11.2021 को थाना खेकड़ा पर श्री कपिल पुत्र ध्यानसिंह निवासी ग्राम गोठरा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त सोनू पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम गोठरा थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा वादी के घर में घुसकर गाली-गलौच कर मारपीट करना तथा वादी की



दादी श्रीमति चम्पा उर्फ चम्पी के सिर में काँच की बोतल मारना जिससे वादी की दादी का बेहोश होकर गिर गई तथा जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 502/2021 धारा 452/504/323/308/506 भादवि पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 502/2021 धारा 452/504/323/308/506 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-सोनू पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम गोठरा थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमित कुमार

2-का0 427 अरूण भाटी